भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.376

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण

376 श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के अधिग्रहण की निगरानी के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ख) महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू खनन और पुनर्चक्रण के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या **है**?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] को 12.01.2015 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया था। केंद्र सरकार ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में नीलामी के माध्यम से चयनित अधिमानित बोलीदाताओं को आशय पत्र प्रदान करने की तिथि से खनन पट्टे के निष्पादन के लिए समय सीमा शुरू की है। इसके अतिरिक्त, खनन पट्टे के निष्पादन की तिथि से उत्पादन और प्रेषण शुरू करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। नीलाम की गई खानों के प्रचालन की निगरानी और उस पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(ख): एमएमडीआर अधिनियम को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से 28.03.2021 से संशोधित किया गया था, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ खनिज उत्पादन में वृद्धि करना और खानों का समयबद्ध प्रचालन करना, खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ाना, पट्टेदार के परिवर्तन के पश्चात खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति बढ़ाना था।

उक्त संशोधन के माध्यम से शुरू किए गए कुछ प्रमुख सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एमएमडीआर अधिनियम की छठी अनुसूची के तहत यथा निर्धारित अतिरिक्त राशि के भुगतान के अध्यधीन संबद्ध संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात सभी कैप्टिव खानों को वर्ष के दौरान उत्पादित खनिजों का 50% तक बेचने की अनुमति देकर कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच अंतर समाप्त किया गया।

(ii) नीलामी में अधिक बोलीदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और नीलामी की वर्धित गति को सुगम बनाने के लिए भावी नीलामियों हेतु अंतिम उपयोग प्रतिबंध समाप्त किया गया।

(iii) किसी खान के संबंध में पिछले पट्टेदार को दिए गए सभी वैध अधिकार, अनुमोदन, मंजूरी आदि पट्टे के समाप्त होने या समाप्त करने पर वैध रहेंगे और ऐसी मंजूरियां नीलामी के माध्यम से चयनित खनन पट्टे के सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

(iv) व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, नीलाम नहीं की गयी खानों के लिए खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं।

इसके पश्चात, केंद्र सरकार ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में 17.08.2023 से संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टे और संयुक्त लाइसेंस की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, टैंटालम, टाइटेनियम आदि जैसे खनिज शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने खनिज मूल्य श्रृंखला प्रक्रिया में बेहतर दक्षता के लिए जीवन चक्र प्रबंधन दृष्टिकोण का उपयोग करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अलौह धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण फ्रेमवर्क, 2020 का उद्घाटन किया है। इसमें अलौह धातु पुनर्चक्रण को बढ़ाने के लिए उत्पाद और प्रसंस्करण प्रबंधन दोनों को लाने की परिकल्पना की गई है।

(ग): माननीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू करने की घोषणा की है। मिशन का उद्देश्य खनिज गवेषण, खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरण सहित भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला मजबूत करना और औद्योगिक मांगों को पूरा करने में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

*****